

# कृषि निदेशालय, बिहार

आ0सं0-06/स्था0कोर्ट-98/2014

कृ० / पटना, दिनांक : , 2017

## शुद्धि-पत्र

बिहार राज्य सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्प) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रभावी तिथि 09.08.1999 तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 01.01.2009 के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या-6/स्था0कोर्ट-98/14-469 दिनांक 19.05.2016 के क्रमांक-3 एवं 4 के स्तम्भ-4 द्वारा सर्व श्री मदन प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (शष्प) पटना प्रमंडल, पटना के दिनांक 20.11.2010 के प्रभाव से ₹9300-34,800/- ग्रेड पे0 6600/- एवं श्री अर्जुन कुमार सिंह, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना को 17.04.2006 के प्रभाव से ₹9300-34800/- ग्रेड पे0 6600/- में वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के तहत कृषि विभागीय श्रेणी के क्रमांक-29 एवं 30 के प्रावधान 587, 1432/1423 कृषि स्नातक के आलोक में वर्ग-2 श्रेणी के पदाधिकारियों की अधिमान्यता के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गई थी।

बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्रांक-3 ए-2-वे0पु0 16/2009-1947 वि0 (2) दिनांक 07.03.2011 द्वारा उपर्युक्त संकल्प 630/21.01.2010 के द्वारा स्वीकृत पद एवं वेतनमान को विलोपित किये जाने के कारण पूर्व निर्गत आदेश-469 दिनांक 19.05.2016 के क्रमांक-3 एवं 4 में निम्नलिखित संशोधन का निर्णय लिया गया। क्रमांक-3 के स्तम्भ 4 (चार) में दिनांक 20.11.2010 से स्वीकृत वेतनमान ₹9300-34,800/- ग्रेड पे0 6600/- के स्थान पर दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से वेतनमान ₹9300-34,800/- ग्रेड पे0-5400/- प्रतिस्थापित किया जाता है तथा इसी तदआलोक में पूर्व निर्गत आदेश संख्या-469 दिनांक 19.05.2016 के क्रमांक-4 (चार) के स्तम्भ-4 (चार) में दिनांक 17.04.2006 से स्वीकृत वेतनमान ₹9300-34,800/- ग्रेड पे0 6600/- के स्थान पर दिनांक 01.01.2009 से वेतनमान ₹ 9300-34,800/- ग्रेड पे0 5400/- प्रतिस्थापित किया जाता है।

पूर्व निर्गत आदेश संख्या-469/19.05.2016 इस हद तक संशोधित मानी जायेगी।

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापक-

कृ०, पटना, दिनांक- , 2017

प्रतिलिपि :- अपर कृषि निदेशक, (प्रसार)/संयुक्त निदेशक (शष्प) शिक्षा/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (विभाग/निदेशालय)/सभी संबंधित कोषांगार/सभी संयुक्त निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/निदेशक, भूमि संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

कृ०, पटना, दिनांक-

,2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 934

कृ०, पटना, दिनांक-25-9-2017

प्रतिलिपि :- आई०टी मैनेजर, कृषि विभाग को ई-मेल से पत्र प्रेषित करने हेतु सूचनार्थ।

*A. S. Singh*  
25.9.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।